# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय–न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)मुकाम–कांदीकुई

नाम इजलास–रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक) कांदीकुई

रामधन–रामकुमार बनाम रामप्यारी वगै

दावा उद्घोषणा दुरुस्ती नक्शा ट्रैक

मुकदमा नम्बर 100/2005 न्यायालय हाजा में मुकदमा नम्बर 22/2022

मजमून है कि वादी वाद दावा बाबत उद्घोषणा व तकाजा व स्थायी निषेधाज्ञा भूमि हाल [illegible] नम्बर [illegible] रकबा 0.30 दा.प्र. 1887 रकबा 0.25 तृतीय, 1888 रकबा 0.20 तृतीय 1889 रकबा [illegible] तृतीय 1890 रकबा 0.08 तृतीय 1891 रकबा 0.10 द्वितीय 1892 रकबा 0.03 द्वितीय 1893 रकबा [illegible] द्वितीय [illegible] रकबा 0–20 द्वितीय, 1894 रकबा 0.11 द्वितीय 1895 रकबा 0.25 तृतीय 1896 रकबा [illegible] तृतीय 1897 रकबा 011 तृतीय 1899 रकबा 0.50 तृतीय, 1900 रकबा 0.10 तृतीय 1901 रकबा [illegible] तृतीय 1902 रकबा 0.40 तृतीय 1903 रकबा 0.01 गै.मु. बोरिंग 1904 रकबा 0.25 तृतीय [illegible] रकबा [illegible] गै.मु. आबादी 1906 रकबा 0.20 तृतीय, 1907 रकबा 0.02 1908 रकबा 0.25 तृतीय [illegible] रकबा 0.21 तृतीय, 1910 रकबा 0.06 गै.मु. रास्ता 1911 रकबा 0.08 तृतीय 1992 रकबा 0.07 [illegible] [illegible] रकबा 0.05 बारानी प्रथम कुल किता 29 कुल रकबा 4.40 हैक्टेयर ग्राम [illegible] तहसील कांदीकुई का दावा एवं काउन्टर वाद प्रतिवादी 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का पोषणीय नहीं होने से [illegible] किया जाता है। निज........ मुद्दालेह ................ ........बाबत.

————खर्चा इस मुकदमे के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख [illegible] तक का अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 03 सन् [illegible] को जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)

पीठासीन

उपखण्ड अधिकारी

कांदीकुई

| खर्च | रुपये | पैसे | मुद्दालेह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा | निल | निल | स्टाम्प अर्जी दावा | निल | निल |
| स्टाम्प [illegible] | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| [illegible] खर्चा [illegible] | | | वकालतनामा [illegible] | | |
| फीस कमीशन | | | खर्चा [illegible] | | |
| [illegible] इजराय हुक्मनामा | | | फीस कमीशन | | |
| मुतफर्रिक | | | [illegible] इजराय हुक्मनामा | | |
| मीजान | | | मुतफर्रिक | | |
| | | | मीजान | | |

सहायक कलेक्टर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

फास्ट ट्रैक कांदीकुई

# न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मुकदमा नम्बर 100/2005
न्यायालय हाजा में मुकदमा नम्बर 22/2022
दर्ज दिनांक 3.01.2022
निर्णय दिनांक 13.03.2026

उनवान

1. रामकुवार पुत्र काना जाति मीना (फौत) के बजाय
1/1 किशन लाल पुत्र स्वर्गीय रामकुवार
1/2 गैंदाराम पुत्र स्वर्गीय रामकुवार समस्त जाति मीना निवासी धनावड —वादी

बनाम

1. रामप्यारी बेवा छाज्या
2. हरचन्दा पुत्र काना (फौत) बजाय
2/1 मूली देवी पत्नी स्वर्गीय हरचन्दा
2/2 रामफूल पुत्र स्वर्गीय हरचन्दा
2/3 रामगोपाल पुत्रान हरचन्दा
2/4 रामप्रसाद पुत्र हरचन्दा
2/5 रामखिलाडी (फौत) बजाय
2/5/1 गोमा उर्फ गोमती पत्नी स्व० रामखिलाडी

} जाति मीना ग्राम धनावड तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला–दौसा

3. कजोडी पुत्री रेवड ग्राम धनावड तह० बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तह० बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
5. उप पंजीयक तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा। —प्रतिवादीगण

## दावा बाबत उद्घोषणा व तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

### —: निर्णय :—

दिनांक 13.03.2026

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा व तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपजिला कलक्टर न्यायालय में पेश किया गया जो शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है– भूमि हाल खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.30 चा.प्र. 1887 रकबा 0.25 तृतीय 1888 रकबा 0.20 तृतीय 1889 रकबा 0.30 तृतीय 1890 रकबा 0.08 तृतीय 1891 रकबा 0.10 द्वितीय 1892 रकबा 0.03 द्वितीय 1893 रकबा 0.03 द्वितीय 1895 रकबा 0–20 द्वितीय 1894 रकबा 0.11 द्वितीय 1898 रकबा 0.25 तृतीय 1896 रकबा 0.01 बोरिंग 1897 रकबा 0.11 तृतीय 1899 रकबा 0.50 तृतीय 1900 रकबा 0.10 तृतीय 1901 रकबा 0.12 तृतीय 1902 रकबा 0.40 तृतीय 1903 रकबा 0.01 गै.मु. बोरिंग 1904 रकबा 0.25 तृतीय 1905 रकबा 0.02 गै.मु. आबादी 1906 रकबा 0.20 तृतीय 1907 रकबा 0.02 1908 रकबा 0.25 तृतीय 1909 रकबा 0.21 तृतीय 1910 रकबा 2.25 गै.मु. रास्ता 1911 रकबा 0.06 तृतीय 1912 रकबा 0.07 प्रथम 1913 रकबा 0.05 बारानी प्रथम कुल किता 28 कुल रकबा 4.40 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 78.17 रूपये ला लन मौजा धनावड तहसील [illegible] हाल बांदीकुई जिला दौसा जिला आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया [illegible] खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 3 [illegible] खसरा नम्बर 268 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा व [illegible] की पैतृक सम्पत्ति है तथा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है–

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

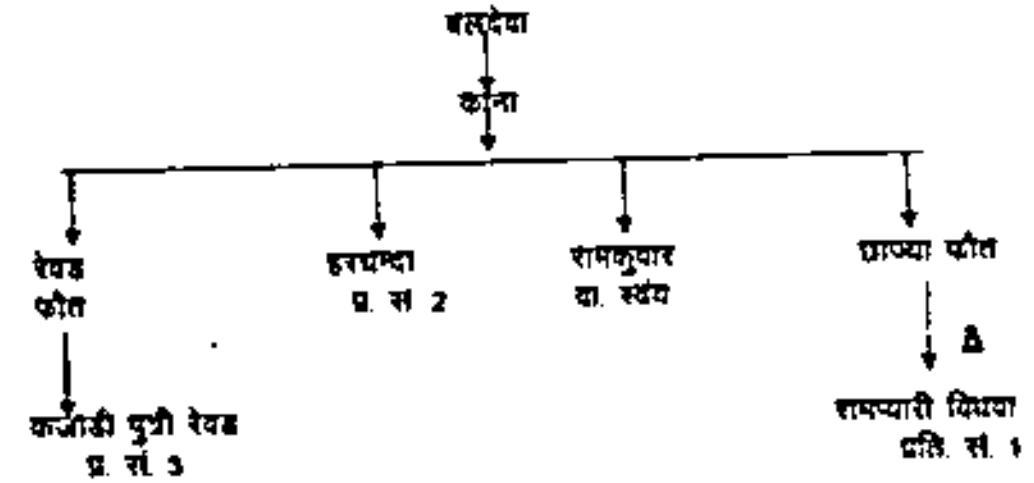

जिसको वादी व प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी तौर पर हिस्सा 1/4 अनुसार बटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है। वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 का सजरा खानदान निम्नप्रकार है–




दिनांक 20–7–2005 को वादी अपने खेतो पर निनाई गुडाई करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता0 3 द्वारा वादी को गाली गलौच एवं बदसलूकी से पेश आये तथा ऐलानिया कहा कि तेरा उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा भूमि को हम बिना विधिक बंटवारा हुये बिना ही रहन बय करते रहेंगे। यदि प्रतिवादी सं0 1लगा 3 अपने नाजायज मकसद मे कामयाब हो गये तो वादी को नुकसान अजीम नाकाबिले तलाफी व तलाफी होगा व तखमीना होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी व गैर–जरूरी विवाद के मुकदमात चल पडेगे जो बाद मे बरबादी वादी होगे ऐसी सूरत मे सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है। वादी को एक अधिकार हांसिल है कि वह संयुक्त खाते की भूमि मे अपने हिस्से 1/4 का विधिक रूप से बटवारा करवा सके तथा अपनी अलग पास बुक व खाता बनवा सके। प्रतिवादीगण को अधिकार नही है कि बिना विधिक रूप से बटवारा हुये बिना संयुक्त खाते की भूमि के किसी भी भाग को रहन बय कर सके। बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 20–07–2005 को प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि का रहन बय करने की धमकि देने व संयुक्त खाते की भूमि के किसी भाग को रहन बय करने की धमकि देने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी बनाया गया है। दावा सकूनत फरीकेन व सकूनत भूमि मुतदाविया के अन्दर हदूद अदालत–हाजा के वाके होने व दावा हाजा के श्रवणाधिकार अदालत–हाजा को प्राप्त है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि वाद वादी बहक प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ के साथ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमायी जावे। इसतकरारहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर का जाहरी किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 268, 269 व हाल खसरा नम्बर वाद पत्र के पेरा नं 1 के अनुसार भूमि मुतदाविया मे वादी का 1/4 हिस्सा का अलग खातेदार फरमाया जावे तथा अलग अलग पास बुक जारी की जावे। प्रतिवादीगन नं0 1 लगा0 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण बिना भूमि का विधिक रूप से बंटवारा हुये बिना भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय करने व वादी के कब्जे मे मजाहमत पैदा करने से पाबन्द रहे। प्रतिवादी नं0 4 व 5 को पाबन्द किया जावे कि वे भूमि मुतदाविया के किसी भी भाग का उक्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया रहन नामा बयनामा आदि का पंजियन न करे। अन्य अनुतोष जो न्याय संगत हो वादी हो और अता फरमायी जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गयी। प्रकरण म प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से निम्न प्रकार जवाब पेश किया गया।

जवाब दावा मिन जानिब प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 हस्ब जिमन नं 1 अर्जी दावा मे वर्णित आराजीयात कुल 28 किता बरकबा 4.40 हैक्टेयर वाके ग्राम धनावड तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई स्थित होना स्वीकार है। परन्तु इस जिमन मे आराजी खसरा नम्बर 1895 का रकबा 0.20 हैक्टेयर गलत दर्ज है वास्तव मे इस खसरा नम्बर का रकबा 0.30 हैक्टेयर है। जिमन नं० 2 अर्जी दावा मे मुतदाविया भूमि उपरोक्त मुतजिकरे जिमन नं० 1 अर्जी दावा के भूमि ऐकीकरण सम्वत 2017 मे कायम खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 268 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा होना स्वीकार है भूमि मुतदाविया वादी तथा प्रतिवादी नं० 1 के स्वर्गीय पति छाज्या तथा प्रतिवादी नं० 2 की हिस्सा 1/3-1/3 संयुक्त कब्जे व खातेदारी की चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 2 मे मुतदाविया भूमि को तीन बराबर बराबर के हिस्सो मे मौके पर बाहमी तौर पर मनसमाई से बांट रखी है। वर्तमान मे मौके की सूरत के अनुसार नक्शा संलग्न जवाब दावे मे प्रतिवादी नं० 1 की तन्हा आधिपत्य की आराजी को लाल रंग से तथा प्रतिवादी हरचन्दा के तन्हा आधिपत्य की भूमि को नीले रंग से महदूद दर्शित किया गया है। नक्शा जवाब दावे का अंग है। दावे के उनवान मे वादी ने प्रतिवादी नं० 3 को रेवड की पुत्री होना गलत दर्ज किया है वास्तव मे प्रतिवादी नं० 3 रेवड की पुत्री नही है बल्कि स्वयं वादी की विवाहिता पुत्री है जो कि अर्सा जाईजद 30-35 वर्ष से अपनी ससुराल ग्राम आप टेडा मे निवास करती है व वही पर आबाद है । जिसका भूमि मुतदाविया मे कोई भी हिस्सा नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेवड अर्सा जाईजद 60 वर्ष पूर्व ही लाऔलाद फौत हो चुका है । वादी व प्रतिवादी नं० 2 के पिता कना के नाम सं. 2000 मे केवल खसरा नम्बर 402,404 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही थी जिमन नं० 3 अर्जी दावा जिस तरह दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। रेवड के कजोडी नाम की कोई पुत्री नही हुई बल्कि रेवड अर्सा जाइजद 60 वर्ष पूर्व ही लाऔलाद फौत हो चुका है कजोडी वादी रामकुवार की विवाहिता पुत्री है। कना की मृत्यु के पश्चात शुरू से अब तक रेवड का नाम राजस्व अभिलेख या अन्य किसी भी रिकोर्ड मे कना के पुत्र के रूप मे दर्ज नही हुआ है जिससे कजोडी को रेवड की पुत्री होना गलत दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी नं० एक रामप्यारी की पुत्री भगवती तथा उसके पुत्रान रूपराम, पिन्टू तथा पुत्री रूपवती को नही दर्शाया गया है । जिमननं० 4 अर्जी दावा गलत है स्वीकार नही है दिनांक 20-7-2005 का तथाकथित वाकी बनावटी व असत्य है। 6-यह है कि जिमननं० 5 अर्जी दावा गलत है, स्वीकार नही है। यह है कि जिमननं० 6 अर्जी दावा गलत है, स्वीकार नही है। भूमि मुतदाविया के वादी एवम प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 1/3-1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व मौके पर अपने अपने हिस्से पर, जैसा ऊपर जिमन मे वर्णन किया गया है, काबिज है व काश्त कर निरन्तर पैदावार काश्त व प्राकृतिक पैदावार से मुस्तफीद होते आ रहे है। व लगान भी वादी व प्रतिवादीगण नं० एक व दो ही शुरू से अब तक अदा करते आ रहे है। 7-यह है कि जिमननं० 7 अर्जी दावा गलत है स्वीकार नही है दिनांक 20-7-2005 को वादी को कोई बिनाय दावा पैदा नही हुई व न दावा अन्दर मियाद ही है। प्रतिवादी नं० 4 व 5 को बिना धारा 80 जा० दी० का नोटिस दिये विधि विरुद्ध पक्षकार बनाया गया है । तथा नोटिस की धारा 80 जा० दी० के अन्तर्गत छूट के लिये कोई प्रार्थना पत्र या कारण भी वर्णित नही किये गये है । जिमन नं 1 कानूनी है मोहताज जवाब नहीं है इस्तदुआ दादरसी जो वादी ने क से घ चाही है वह वादी पाने का अधिकारी नही है ।

बयान मजीद

मुतदाविया भूमि के शुरू से वादी व प्रतिवादी नं० एक का पति छाज्या व उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीनं० 1 तथा प्रतिवादी नं० 2 1/3-1/3 हिस्से के काबिज खातेदार मय काश्तकार है प्रतिवादी नं० एक का पति छाज्या की मृत्यु के पश्चात सहवन से प्रतिवादी नं० एक के पक्ष मे नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है यद्यपि मिन प्रतिवादीया नं० एक अपने स्वर्गीय पति छाज्या की 1/3 हिस्से की खातेदारी की भूमि पर शुरू से अब तक निरन्तर बतौर खातेदार काबिज है व काश्त कर व राजकीय लगान अदा कर निरन्तर मुस्तफीद होती आ रही है। वादी व प्रतिवादी नं० एक व दो मे बाहमी समझौते से आराजी मुतदाविया का निम्नांकित भांति से मौके पर विभाजन कर रखी है:-

| | | |
|---|---|---|
| रामकुवार वादी – | खसरा नम्बर | रकबा |
| | 1865 | 0.30 |
| | 1891 | 0.10 |
| | 1892 | 0.03 |

| | |
|---|---|
| 1893 | 0.03 |
| 1894 | 0.11 |
| 1900 | 0.10 |
| 1901 | 0.12 |
| 1902 | 0.40 |
| 1903 | 0.01 |
| 1905 | 0.02 |
| 1906 | 0.20 |
| 1910 | 0.05 |
| | 1.47 |

प्रतिवादी नं० एक रामप्यारी

| | |
|---|---|
| 1888 | 0.20 |
| 1889 | 0.30 |
| 1895 | 0.30 |
| 1896 | 0.25 |
| 1897 | 0.11 |
| 1909 | 0.21 |
| 1901 | 0.08 |
| 1907 | 0.02 |
| | 1.47 |

प्रतिवादीनं० 2 हरचन्दा

| | |
|---|---|
| 1887 | 0.25 |
| 1890 | 0.8 |
| 1898 | 0.01 |
| 1899 | 0.50 |
| 1904 | 0.25 |
| 1908 | 0.25 |
| 1912 | 0.07 |
| 1913 | 0.05 |
| | 1.46 |

पक्षकारान के बाहमी समझौते से अलग अलग अधिपत्य की भूमि को नक्से संलग्न जवाब दावे मे लाल रंग से महदूद भूमि प्रतिवादी नं० 1 के हिस्से कब्जे व खातेदारी की तथा नीले रंग से महदूद प्रतिवादी नं० 2 हरचन्दा के हिस्से कब्जे व खातेदारी की तथा शेष भूमि वादी के हिस्से कब्जे व खातेदारी की दर्शायी गयी है। भूमि मुतदाविया मे प्रतिवादी नं० एक का कच्चा पर छप्पर पोस तथा मवेशियो की बैठक का बाड़ा तथा प्रतिवादी नं० दो का रिहायशी पुख्ता मकान व तीन छप्पर, बाड़ा तथा अधूरा निर्मित पुख्ता मकान व पाटौल आदि स्थित है जिनमे प्रतिवादीगण नं० एक व दो की रिहायश हो रही है। प्रतिवादी नं0 2 ने अब से करीब 7 वर्ष पूर्व अपने हिस्से खातेदारी की भूमि मे एक पुख्ता चाह का निर्माण केवल अपनी लागत से किया है जिस पर अपनी लागत से ही आयल इन्जिन पम्पिंग सैट लगाकर प्रतिवादी नं० दो अपने हिस्सेदारी आराजीयात की आबपाशी करता है तथा प्रतिवादी एक प्रतिवादी नं० दो से पिलाईपर पानी लेकर उक्त चाह से अपने हिस्से खातेदारी आराजीयात की आबपाशी कर सिंचित काश्त कर रही है। प्रतिवादी नं०एक ने वर्तमान मे आराजी खसरा नम्बर 1888 व 1889 मे सरसो की तथा खसरा नम्बर 1897 मे जौ की तथा 1896 मे गेहू व चना की तथा 1909 मे गेहू की काश्त कर रखी है जिसकी आबपाशी प्रतिवादी नं० एक प्रतिवादी नं० दो के चाह से पिलाईपर पानी लेकर कर रही है जो कि फसल मौके पर जेर निगरानी व आधिपत्य प्रतिवादी नं० 1 बरसरे मौजूद है । प्रतिवादी नं० एक की आराजी खसरा नम्बर 1895 1897 व 1911 वर्तमान मे खाली है। जिनमे गत फसल खरीफ मे

ayz

नं० एक ने राजय आदि की काश्त की थी । प्रतिवादी नं० 2 ने अपनी हिस्से खातेदारी की खसरा नं० 1687 व 1904 में सरसों की काश्त कर रखी है तथा शेष आराजी अलावा खसरा में गेहूं की काश्त स्वंय के निर्मित चाह से जरिये आयल इन्जन पम्पिंग सैट पानी लेकर पलाव है जिसकी आबपाशी भी उक्त चाह से प्रतिवादी नं० 2 कर रहा है। जो कि फसल सरसों प्रतिवादी नं० 2 की जेर निगरानी व परवरिश में मौके पर सरसब्ज मौजूद है। यह है कि नं० 3 प्रकरण उनवानी के लिये अनावश्यक पक्षकार है जो कि न तो रेवड़ की पुत्री है और न भी राजस्व अभिलेख में बतौर सह खातेदार इन्द्राज ही रहा है। उक्त कजोड़ी रामकुंवार है रेवड़ की नहीं है जो की अर्सा करीबन 30–35 वर्ष पूर्व से विवाह होकर अपनी ससुराल में काबिज है उक्त की की वर्तमान में आयु करीब 45 साल के लगभग है तथा यह भी है कि रेवड़ का स्वर्गवास अर्साजाईब्द 50 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। वादी ने प्रतिवादीनं० 3 की पुत्री होना व ग्राम धनावड़ के निवासी होना गलत दर्ज किया गया है प्रतिवादी नं० 3 का खारिज किये जाने योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर अधिनियम लागू नही होता है। प्रतिवादी नं० 5 वाद उनवानी के लिये आवश्यक है। वादी ने वाद दायर करने से पूर्व प्रतिवादी गण नं० 4 व 5 को नोटिस अन्तर्गत धारा नहीं दिया है इस कारण प्रतिवादीगण नं० 4 व 5 के विरूद्ध वाद खारिज किये जाने योग्य

काउन्टर क्लेम

मुतदाविया के 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं० एक का पति रामधा पुत्र कान्हा खातेदार दर्ज चला आ रहा है जिसकी की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी नं० एक उक्त रामधा की व उत्तराधिकारी है तथा राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज हिस्सा 1/3 बतौर दर्ज कराने की विधिक तौर पर अधिकारणी है। तथा उपर बयान मजीद जो पैरा नं० 2 में दर्ज से वादी हुई कब्जे काश्त की भूमि को तकासमे में प्राप्त कर तन्हा अपनी खातेदारी में व इसका अलग से लगान निर्धारण करवाने की विधिक तौर पर अधिकारणी है।

दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी बाबत उद्घोषण व खारिज किया जावे तथा मुतदाविया भूमि का वादी तथा प्रतिवादी गण नं० 1 व 2 के 1/3 हिस्से अनुसार तकास्मा किया जाकर अलग अलग पर्चा खातेदारी कायम कर लगान किया जावे व इसी मुताबिक नक्शा ट्रेस में तरमीम कराई जावे तथा राजस्व अभिलेख में 1 का नाम 1/3 हिस्से के खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादिया संख्या 3 मु० कजोड़ी की और से निम्न लिखित प्रस्तुत है का पैरा संख्या एक स्वीकार है । भूमि मुतदाविया का तन ग्राम धनावड़ तहसील बसवा में स्थित होना स्वीकार है वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में भूमि मुतदाविया के पूर्व बन्दोबस्त नम्बर 268, 269, रहे है। भूमि मुतदाविया का वादी एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत सम्पति होना स्वीकार है। जिसमें प्रतिवादिया संख्या तीन की पैत्रिक सम्पति होना जिसमें प्रतिवादीया संख्या तीन का 1/4 हिस्सा की सहखातेदार काश्तकार रही है। व भूमि में हिस्सा अनुसार रही है । दावे हाजा के पैरा संख्या तीन में दर्ज सिजरा परिवार स्वीकार है । वाद पत्र का पैरा संख्या चार में प्रतिवादिया संख्या तीन ने कोई मनाहमत या हिस्सा अनुसार करने में इन्कारी नही की है। अलबत्ता प्रतिवादिया द्वारा हिस्सा अनुसार हिस्सा करने व तकास्मा करने से दीगर हिस्सेदारान ने इन्कारी व मजाहमत अवश्य की है प्रतिवादिया ने जुदागाना दावा न्यायालय हाजा में कर दिया है । वाद पत्र का पैरा संख्या भूमि मुतदाविया पर 1/4 हिस्सा होना व प्रतिवादिया का भी 1/4 हिस्सा होना स्वीकार का नाम हिस्सा अनुसार खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीया भूमि पर 1/4 हिस्से की सहखातेदारी घोषित कराने व तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा एवम बतौनी प्रकार दुरुस्ती कराने की अधिकारी है। यह है कि वाद पत्र का पैरा संख्या 6 स्वीकार है पैरा संख्या 7, 8, 9, कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है । इस्तदुआ दादरसी इस है कि प्रतिवादिया का भी भूमि मुतदाविया की बाबत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर हिस्सा भूमि मुतदाविया पर 1/4 बतौर सहखातेदार घोषित किया जाकर दुरुस्ती इन्द्राज के अनुसार कराया जावे तकास्मा हिस्सा अनुसार भूमि मुतदाविया का कराया जावे;

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(ब्लाक हैड) ...

...की प्रतिवादीया अधिकारी है। प्रतिवादिया के काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते करते हुये दावा ...के किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है । काउन्टर क्लेम काउन्टर क्लेम मिन जानिब ...दिया संख्या 3 मु कजोडी निम्नलिखित प्रस्तुत है /- भूमि मुतदाविया वादी एवम् प्रतिवादिया ... तीन व प्रतिवादी संख्या एक व दो की पैत्रिक सम्पत्ति है जो प्रतिवादिया के पितामह मृतक काना ... उनके पूर्वजों की समय से ही सम्मिलित पारिवारिक सम्पत्ति के बतौर परिवार के प्रत्येक सदस्य के ... अनुसार उपयोग उपभोग में बजमाने मुजुर्गान चली आयी है। दावे में दर्ज शिजरा के अनुसार सब ... के चार पुत्र हुये रेवड़, हरचन्दा, रामकुवार व छाज्या, रेवड़ की मृत्यु काना के जीवन काल में ही ... चुकी थी इस कारण प्रतिवादीया के पिता रेवड़ का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया । लेकिन ... पिता प्रतिवादिया मृतक काना का पुत्र होने 1/4 के नाते हिस्सा भूमि मुतदाविया का सहखातेदार ...दार रहा है व कब्जा हिस्सा अनुसार भूमि मुतदाविया पर जीवनकाल में रहा है खसरा गिरदावरीयो ... है कि प्रतिवादीया संख्या तीन मृतक रेवड़ की एक मात्र संतान है व उसके हिस्सा पैत्रिक ... भूमि मुतदा विया पर 1/4 हिस्सा की सहखातेदार काश्तकार है व हिस्सा अनुसार भूमि ... का उपयोग उपभोग करती चली आती है अपने पिता के समय से चली आती है। एक भूमि ... का 1/4 हिस्सा सहखातेदारी एवम् दुरुस्ती इन्द्राज खातेदारी की घोषणा कराने की ... अधिकारी है । हिस्सा अनुसार तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पाने की भी प्रतिवादीया संख्या ... अधिकारी है। इस बाबत जुदागाना दावा भी प्रतिवादिया ने न्यायालय हाजा में कर दिया है लेकिन ... हुजूर दावे हाजा में काउन्टर क्लेम भी पेश किया जा रहा है । अतः प्रतिवादिया संख्या तीन की ... से ...द एवम् काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादिया संख्या 3 का काउन्टर ... उसके दावे के साथ स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 3 के पक्ष में निम्न प्रकार डिक्री ... जावे/- क घोषणा की जावे की भूमि मुतदाविया पर प्रतिवादिया संख्या तीन, 1/4 हिस्सा की ... काश्तकार है । एवम् खतौनी भूमि मुतदा विया के हिस्सा अनुसार दुरुस्त करवाने व दीगर ... का गलत हिस्सा दर्ज हो रहे है को दुरुस्त करवाकर दुरुस्ती इन्द्राज खतौनी भूमि ... कराने की अधिकारी है। भूमि मुतदाविया का सरस व नरस के हिसाब से हिस्सा अनुसार ... करवा जाकर भूमि मुतदा विया का प्रतिवादीया संख्या 3 का हिस्सा 1/4 अलग से कायम ... जावे। व लगान का भी हिस्सा अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीया की अलग हिस्सा ... खतौनी तैयार कराई जावे । प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द ... जावे कि भूमि मुतदाविया के 1/4 हिस्सा प्रतिवादीया संख्या तीन पर प्रतिवादिया संख्या तीन ... कब्जा काश्त में मजाहमत करने व भूमि मुतदाविया को किसी दीगर शख्स को रहन, बय, द्वारा ...न्तरित करनेसे दवामी तौर पर बाज व मुम्तनाह रहें ।

जवाब दावा बजानिब प्रतिवादी संख्या 6 स० प्रतिवादी संख्या 6 निम्न प्रकार जवाब दावा पेश ... है/- दावा पत्र का पैरा नम्बर एक सही एवम् अभिलेखीय है । पैरा संख्या 2 इस संशोधन के ... स्वीकार है कि भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या तीन तथा मिन प्रतिवादी संख्या 6 शामिल में ... की काबिज खातेदार काश्तकार है । शजरा खानदान प्रकार दर्ज है सही एवं सम्पूर्ण ... है । मिन प्रतिवादी 40 मुस स्वर्गीय रेवड़ पुत्र काना की विवाहिता पत्नि है, उक्त रेवड़ की असी ... 40 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी उक्त रेवड़ से मिन प्रतिवादिया के कजोडी उत्पन्न हुई है । उक्त रेवड़ ... मृत्यु के बाद मिन प्रतिवादिया, रामकुवार के साथ रहने लगी है लेकिन उसने पुनः विवाह नहीं किया ... मिन प्रतिवादिया के श्वसुर काना पुत्र बलदेवा के चार पुत्र रेवड़ हरचन्दा, रामकुवार तथा छाज्या ... मिन प्रतिवादीया उक्त रेवड़ की विवाहिता पत्नि है । उक्त रेवड़ का भूमि वादग्रस्त में 1/4 हिस्सा ... उक्त रेवड़ के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तथा केवल एक पुत्री स० कजोडी उत्पन्न हुई है ... रेवड़ के सन 1964 में फौत हो जाने पर उसका हिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार मिन ... एवम् उसकी पुत्री कजोडी हुये है तथा रेवड़ का उक्त हिस्सा की खातेदार काश्तकार मिन ... एवम् उसकी पुत्री कजोडी चली आती है तथा मिन प्रतिवादिया एवम् उक्त कजोडी को बाद ... रेवड़ उन्हें भूमि मुतदाविया में प्राप्त हक हकूक खातेदारी अपने हिस्से का बटवारा प्राप्त करके ... भूमि प्राप्त करना आवश्यक है। सही शजरा खानदान पेश किया है।

अतः दादोतार मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन प्रतिवादी संख्या 6 का ... हक मिन प्रतिवादिया निम्न प्रकार डिक्री पारित फरमाया जावे :- यह है कि भूमि खसरा ... रकबा 0.30 हैक्टे० बा० दो०, 1887 रकबा 0.25 हैक्टे० चा० तृतीय, 1888 रकबा 0.20 हैक्टे.

(signature)

...क फैसले ...
... कै ...

चाही तृतीय, 1889 रकबा 0.30 हैक्टे०. चाही तृतीय, 1890 रकबा 0.06 हैक्टे० चा० तृतीय, 1891 रकबा 0.33 हैक्टे० बारानी द्वितीय, 1892 रकबा 0.03 हैक्टे० बारानी द्वितीय, 1893 रकबा 0.03 हैक्टे० बा० द्वितीय, 1894 रकबा 0. 11 हैक्टे० बा० द्वितीय, 1895 रकबा 0.20 हैक्टे० बा० द्वितीय, 1896 रकबा 0.25 हैक्टे० तृतीय, 1897 रकबा 0.11 हैक्टे० चाही तृतीय, 1898 रकबा 0.01 हैक्टे० गैर० मुमकिन बोरिंग, 1899 रकबा 0.50 हैक्टे० चाही तृतीय, 1900 रकबा 0.10 हैक्टे० चाही तृतीय, 1901 रकबा 0.12 हैक्टे० चाही तृतीय, 1902 रकबा 0. 40 हैक्टे० चाही तृतीय, 1903 रकबा 0.01 हैक्टे० गैर मुमकिन बोरिंग, 1904 रकबा 0.25 हैक्टे० चाही तृतीय, 1905 रकबा 0.02 हैक्टे० गैर मुमकिन आबादी, 1906 रकबा 0.20 हैक्टे० चाही तृतीय, 1907 रकबा 0.02 हैक्टे० गैर मुमकिन पाड़, 1908 रकबा 0.25 हैक्टे० चाही तृतीय, 1909 रकबा 0.21 हैक्टे० चा० तृतीय, 1910 रकबा 0.05 हैक्टे० गैर मुमकिन रास्ता, 1911 रकबा 0.08 हैक्टे० चाही तृतीय, 1912 रकबा 0.07 हैक्टे० बारानी प्रथम, 1913 रकबा 0.05 हैक्टे० बारानी प्रथम कुल किता 25 कुल रकबा 4.42 हैक्टेर वाकिया मौजा धनावड़ तहसील बसवा जिला दौसा जिसके सैटिलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 268 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा रहे थे में रेवड़ पुत्र कन्ना के हिस्से 1/4 को मिन प्रतिवादीया संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के खाते खतौनी जमाबन्दी इत्यादि में इन्द्राज दर्ज कराये जावे। यह है कि भूमि मुतदाविया का खातेदारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार सरस नरस तकासम किया जाकर अलग अलग खाते खतौनी अलग अलग जमाबन्दी अलग अलग पास बुक बनादी जावे तथा लगान का बंटवारा अलग अलग किया जावे। यह कि खर्चा खर्चा मुकदमा वादी से मिन प्रतिवादिया को दिलवाया जावे तथा अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ व मुफीदे मिन प्रतिवादिया हो और अता फरमायी जावे।

प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईं/–

तनकी संख्या 1 आया विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक भूमि है वादी अपने हिस्सा की संयुक्त पैतृक भूमि है वादी अपने हिस्सा 1/4 की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण

तनकी संख्या 2 आया वादीगण उक्त हिस्से 1/4 की भूमि पर प्रतिवादीगण दखल नहीं देने हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादीगण

तनकी संख्या 3 आया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 1/3,1/3 हिस्से के शामिल खातेदार है इसका तकासमा कर अलग अलग खाता कायम कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 आया भूमि मुतदाविया वादी की पैतृक सम्पत्ती नहीं है। प्रतिवादगण

तनकी संख्या 5 आया वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को धारा 80 जा.दी. के नोटिस नहीं दिया गया इसलिये दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

तनकी संख्या 6 आया प्रतिवादी संख्या 3 कजोड़ी रेवड़ की पुत्री नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2

प्रकरण में तनकी कायम होने पर प्रकरण वादी सबूत पर नियत किया गया। वादी की ओर से रामस्वरूप, मदनु रामकुमार कजोड़ी, गोवर्धन, गैन्दा किशन लाल ,भजन लाल घासीराम प्रतिवादी की ओर से गोपाल पुत्र हरचन्दा कजोड़ी पुनीराम का पेश किया गया।

प्रकरण सबूत पूरी होने पर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई दोनो पक्षो की ओर से लिखत बहस पेश की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का बहस के दौरान मुख्य तर्क रहा है कि कन्ना के चार वारिस है। रेवड़ (फौत) हरचन्दा रामकुमार छाज्या(फौत) रेवड़ लावल्द फौत हो गया उसकी पत्नी मुनी रामकुमार के नाते बैठ गयी, रामप्यारी छाज्या की पत्नी है। कजोड़ी को रेवड़ की पुत्री बताकर दावा लाया है। रामप्यारी ने काउन्टर में 1/3 हिस्सा माना है। व वादी व कजोड़ी ने एडमीट किया है रेवड़ की मृत्यु कब हुई दावे जवाब दावा में नहीं है। कजोड़ी का जन्म कब हुआ वर्णन नहीं कजोड़ी की लिखित बहस में जन्म का वर्णन नहीं प्रदर्श 5 वादी ने जीवन काल में पेश नहीं किया तनकी संख्या 6 संशोधन हुआ तदनुसार तय करनी है। प्रदर्श 5 रेवड़ का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.1966 वादी के कब्जे में कैसे पेश किया उनके पास कहां से आया मुंसी प्रतिवादी नम्बर 6 जवाब दावा में रेवड़ की मृत्यु की तारीख 1964 अंकित है। कजोड़ी प्रतिवादी 3 वादी की गवाह बनकर पेश हुयी है परीक्षण में आयु 45 वर्ष लिखी है। जिरह में कहा रेवड़ को मरे 50 वर्ष हो गये व हलफनामे में उम्र 45 वर्ष लिखि है। कजोड़ी के जन्म से 5 वर्ष पूर्व ही रेवड़ की मृत्यु हो गई कजोड़ी रेवड़ की

बल्कि नहीं होकर रामकुवार की पुत्री है। लिखित बहस में भूमि वादग्रस्त को कास्तसनदी भूमि बताया गया ... पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रही है। प्रदर्श डी 3 कान्हा खातेदार 402.405 शेष ख.म. कान्हा के पिता बलदेव के ... भूमि रही हो का रिकार्ड नहीं ही है। भूमि पैतृक नहीं है। कजोड़ी का जन्म रामकुवार से हुआ है। ... दावा खारिज किया जावे। विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये बोर्ड आफ रेवेन्यु लक्ष्मण सिंह बनाम बलदेव वगै अपील संख्या 4403 /हनुमानगढ़ 2017 निर्णय दिनांक 13 मार्च 2024 जिसमें वर्णित है कि मात्र मौखिक के साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 4517–18 आफ 2006 एसपीएल नम्बर 22888 /2005 एण्ड 4168 /2006 निर्णय दिनांक 17.02.2006 रोहित सिंह बनाम बिहार राज्य (वर्तमान झारखण्ड) व अन्य में वर्णित किया है कि काउन्टर क्लेम आवश्यक रूप से वादी के विरूद्ध होना चाहिये।

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश करते हुये मुख्य कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। कजोड़ी रेवड़ की पुत्री है। रेवड़ की फौत 25.10.1966 को हुई मृत्यु प्रमाण पत्र है। प्रतिवादी के जवाब में कजोड़ी की आयु 65 वर्ष होने का कथन किया है। रेवड़ की मृत्यु से पूर्व कजोड़ी का जन्म हुआ है। कजोड़ी 1/4 हिस्सा मिलना चाहिये । प्रतिवादी अधिवक्ता 3 कान्हा के चार वारिस है कजोड़ी का जन्म 1960 में हुआ था पैतृक है। मृत्यु प्रमाण पत्र सही है। कजोड़ी रेवड़ की पुत्री है। काउन्टर स्वीकार करे कजोड़ी 1/4 हिस्से की हकदार है।

तनकी संख्या 1 आया विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक भूमि है वादी अपने हिस्से की संयुक्त पैतृक भूमि है वादी अपने हिस्सा 1/4 की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी संख्या 1 आया विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक भूमि है वादी अपने हिस्सा की संयुक्त पैतृक भूमि है वादी अपने हिस्सा 1/4 की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर वादी द्वारा वाद की ताईद में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2056 से 59 खाता संख्या 297 हरचन्दा रामकुवार पुत्र पि. कान्हा जाति मीना के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 भूमि एकीकरण प्रारूप हरचन्दा रामकुवार पुत्र कान्हा के नाम दर्ज प्रदर्श 3 मिसल क्षेत्र फल प्रदर्श 4 मिसल क्षेत्र फल प्रदर्श 5 रेवड़ पुत्र कान्हा राम का मृत्यु प्रमाण पत्र 25.10.66 पेश किया गये है।

प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श डी 2 मिसल क्षेत्रफल , प्रदर्श डी 3 नकल खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श डी 4 मिसल क्षेत्र फल प्रदर्श 5 जमाबन्दी प्रदर्श 6 सजरा पेश किये गये। वादी वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा की उद्घोषणा चाहता है। वादी का कथन है कि कान्हा के चार वारिस है। रेवड़ (फौत) हरचन्दा रामकुवार प्रान्ता (फौत) रेवड़ लाऔलाद फौत हो गया उसकी पत्नी मूली रामकुवार के नाते बैठ गयी, कजोड़ी को रेवड़ की पुत्री है। वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा की हकदार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेज अनुसार में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2056 से 59 खाता संख्या 297 हरचन्दा रामकुवार प्रान्ता पि. कान्हा जाति मीना के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 भूमि एकीकरण प्रारूप हरचन्दा रामकुवार पुत्र कान्हा के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि वर्तमान में तीन हिस्सो में संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी का कथन है कि कजोड़ी रेवड़ की पुत्री नहीं है। कजोड़ी रामकुवार की पुत्री है। प्रकरण में गवाह के बयान में भी कजोड़ी की अलग –अलग उम्र होना बताया गया है। मामला रेवड़ के वारिस तय होने का है। वारिसान तय करने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार नहीं ही है। इसलिये वादग्रस्त भूमि को 1/4 हिस्से नहीं दिये जा सकते है। माननीय न्यायालयो की नजीर बोर्ड आफ रेवेन्यु लक्ष्मण सिंह बनाम बलदेव वगै अपील संख्या 4403 /हनुमानगढ़ 2017 निर्णय दिनांक 13 मार्च 2024 जिसमें वर्णित है कि मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 4517–18 आफ 2006 एसपीएल नम्बर 22888 /2005 एण्ड 4168 /2006 निर्णय दिनांक 17.02.2006 रोहित सिंह बनाम बिहार राज्य (वर्तमान झारखण्ड) व अन्य में वर्णित किया है कि काउन्टर क्लेम आवश्यक रूप से वादी के विरूद्ध होना चाहिये। इसलिये उक्त तनकी को साबित करने में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 3 साबित करने में असफल रही है। उक्त तनकी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 कजोड़ी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादीगण उक्त हिस्से 1/4 की भूमि पर प्रतिवादीगण दखल नही देने हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार तनकी संख्या 1 का विवेचन किया गया है। जिसको वादी साबित नही करपाये है। इसलिये उक्त तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 1/3,1/3 हिस्से के शामिल खातेदार है जरिये तकसमा कर अलग अलग खाता कायम कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर प्रतिवादी द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार वादग्रस्त भूमि 1/3, 1/3 हिस्सो मे दर्ज है। कजोडी रैगर की पुत्री है अथवा रामकुमार की यह साबित नही होता है तब तक वादग्रस्त भूमि मे हिस्से तय नही किये जा सकते है। उत्तराधिकारी तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार नही है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 आया भूमि मुतदाविया वादी की पैतृक सम्पती नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि कान्हा पुत्र बलदेव खातेदार 402,406 शेष ख.न. कान्हा के पिता बलदेव के नाम का कोई रिकार्ड पेश नही किया गया है। इसलिये उक्त भूमि को आंशिक रूप से पैतृक भूमि माना जा सकता है। आंशिक रूप से उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 आया वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को धारा 80 जा.दी. के नोटिस नही दिया गया इसलिये दावा वादी चलने योग्य नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय नही की जाती है।

तनकी संख्या 6 आया प्रतिवादी संख्या 3 कजोडी रैगर की पुत्री नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की कजोडी रैगर की पुत्री नही है। ना ही वादी द्वारा ऐसा साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित हो की कजोडी रैगर की पुत्री है। मामला वारिस तय करने का जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 असफल रहे है।

अनुतोष– तनकी संख्या 1 लगायत 6 के विवेचन के आधार पर प्रकरण मूल रूप से रैगर के वारिस तय करने का है। कजोडी रैगर की पुत्री है अथवा रामकुमार की यह साबित नही होता है तब तक वादग्रस्त भूमि मे हिस्से तय नही किये जा सकते है। उत्तराधिकारी तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार नही है। इसलिये वादी वाद एवं प्रतिवादी 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद दावा बाबत उद्घोषणा व तकसमा व स्थायी निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 1883 रकबा 0.30 चा.रि. 1887 रकबा 0.25 तृतीय, 1888 रकबा 0.20 तृतीय 1889 रकबा 0.30 तृतीय, 1890 रकबा 0.08 तृतीय 1891 रकबा 0.10 द्वितिय 1892 रकबा 0.03 द्वितीय 1893 रकबा 0.23 द्वितिय 1895 रकबा 0–20 द्वितिय, 1894 रकबा 0.11 द्वितिय 1896 रकबा 0.25 तृतीय. 1898 रकबा 0.01 बोरिंग 1897 रकबा 011 तृतीय 1899 रकबा 0.50 तृतीय, 1900 रकबा 0.10 तृतीय 1901 रकबा 0.12 तृतीय, 1902 रकबा 0.40 तृतीय 1903 रकबा 0.01 गै.मु. बोरिंग 1904 रकबा 0.25 तृतीय 1905 रकबा 0.02 गै.मु. आबादी 1906 रकबा 0.20 तृतीय, 1907 रकबा 0.02 1908 रकबा 0.25 तृतीय, 1909 रकबा 0.21 तृतीय, 1910 रकबा 0.05 गै.मु. रास्ता 1911 रकबा 0.08 तृतीय 1992 रकबा 0.07 तृतीय, 1913 रकबा 0.05 बारानी प्रथम कुल किता 28 कुल रकबा 4.40 हैक्टेयर ग्राम धनावड़ तहसील बांदीकुई का दावा एवं काउन्टर वाद प्रतिवादी 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का पोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/26

सहायक कलेक्टर [illegible]

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

बांदीकुई